

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00222

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध आधारशिला इन्फ्रा प्रोजेक्ट, रायपुर  
प्रोजेक्ट—“WHITEWOOD ITALIA” भाठागांव, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/12/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>- अनावेदक की ओर से श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा स्वयं उपस्थित।</li><li>- प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रेरा की वेबसाईट दर्शाये बगैर, भाठागांव, रायपुर स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बल्क एस.एम.एस के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था।</li><li>- इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि उनके द्वारा विज्ञापित प्रोजेक्ट “WHITEWOOD ITALIA” छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन क्रमांक—PCGRERA160718000563 के रूप में पंजीकृत है। उनके द्वारा प्रसारित बल्क एस.एम.एस. में प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट का उल्लेख नहीं किया गया था। अतः अनावेदक ने सद्भाविक त्रुटि के कारण क्षमा याचना की है।</li><li>- प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक द्वारा बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से जिस प्रोजेक्ट का विज्ञापन प्रसारित किया गया था, वह प्रोजेक्ट पूर्व से ही रेरा में पंजीकृत है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है कि अनावेदक द्वारा की गई त्रुटि सद्भाविक है। अतः अनावेदक को भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन</li></ul>	



*Guna?*

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00222

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध आधारशिला इन्फ्रा प्रोजेक्ट, रायपुर

प्रोजेक्ट-“WHITEWOOD ITALIA” भाटागांव, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। - प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>(राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p>(विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> 	